

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर) राज०  
पीठासीन अधिकारी महेन्द्र सिंह (आर०ए०एस०)


मुकदमा नंबर  
434/2022

तारीख दायर  
" "

तारीख फैसला

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा जिला खैरथल-तिजारा (राज०)

उक्त वाद/प्रार्थना पत्र/अपील का निर्णय/निस्तारण  
दिनांक 29/01/2022 को किया जा चुका है।

  
उपखण्ड अधिकारी  
तिजारा(खैरथल-तिजारा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर) राज0  
पीठासीन अधिकारी महेन्द्र सिंह (आर0ए0एस0)

मुकदमा नम्बर  
434/2022

तारीख दायर  
09-09-2022

तारीख फैसला  
20/09/2023

उनवान

01. मांगेराम  
02. जगदीश पुत्रान रव0 श्री घन्टोली जाति मेघवाल निवासी ग्राम हसनपुर माफी तहसील तिजारा जिला अलवर (राजस्थान)

-----:: वादीगण

बनाम

01. राज्य सरकार जरिये पैरोकार भूमिधारी तहसीलदार, तिजारा जिला अलवर (राज0)

-----:: प्रतिवादी

दावा इश्तकरारहक मय दुरुस्ती इन्द्राज वो हुक्मइम्तनाई दवामी  
अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित

01. श्री कुलदीप आहूजा एडवोकेट (वादीगण)

--:: निर्णय ::--

प्रकरण में सूक्ष्म वृत्तान्त इस प्रकार है कि वादी ने यह वाद इश्तकरारहक मय दुरुस्ती इन्द्राज वो हुक्मइम्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि साबिक आराजी खसरा नम्बर 586 रकबा 23 बीघा व 557 रकबा 3 बिस्वा वाके ग्राम हसनपुर माफी तहसील तिजारा में स्थित है। जिसके हाल आराजी खसरा नम्बर 486 रकबा 23 बीघा 3 बिस्वा पैमुद किये गये हैं। वर्णित आराजी इस वाद में विवादित आराजी कहलावेगी। साबिक आराजी खसरा नम्बर 586 रकबा 23 बीघा, जिसके हाल आराजी खसरा नम्बर 486 रकबा 23 बीघा 3 बिस्वा है, में से अन्य आराजीयात के साथ साथ साबिक आराजी खसरा नम्बर 586 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा रकबा की खातेदारी जरिये सनद पट्टा संख्या 1862 दिनांक 30.06.1993 को तहसीलदार कम मैनेजिंग आफिसर, तिजारा द्वारा मिन हम वादीगण के पिता घन्टोली पुत्र बालू के नाम जारी कर दिया गया व खातेदारी हकूक प्रदान कर दिये गये। जिसका नामान्तकरण संख्या 249 भी मिन वादीगण के पिता घन्टोली पुत्र बालू के नाम दर्ज व मंजूर हो गया। मिन वादीगण के पिता श्री घन्टोली पुत्र बालू का नाम बतौर खातेदार काश्तकार का अमल राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में कर दिया गया। मिन वादीगण के पिता घन्टोली पुत्र बालू अपने जीवनकाल में काबिज व दाखिल रहा है। हम वादीगण के पिता श्री घन्टोली पुत्र बालू का देहान्त हो गया है। उनके मरने के बाद हम वादीगण उसके विधिक वारिसान आराजी पर काबिज व दाखिल चले आ रहे हैं तथा मौके पर मिन वादीगण अपने पिता घन्टोली पुत्र बालू से विरासत से मिली अपनी आराजी पर वास्तविक कब्जा है। हाल आराजी खसरा नम्बर 486 रकबा 23 बीघा 3 बिस्वा में से 1 बीघा 5 बिस्वा रकबा सतेन्द्र पुत्र फूलसिंह को आवंटित कर पट्टा दिया गया था परन्तु सतेन्द्र पुत्र श्री फूलसिंह के नामान्तकरण संख्या 330 में

*Om*  
उपखण्ड अधिकारी  
तिजारा (अलवर) राज0

टवारी हल्का की गलती से रकबा 23 बीघा 03 बिस्वा रकबा दर्ज कर दिया। जिस कारण से मिन वादीगण के पिता घन्टोली पुत्र बालू के नामान्तकरण संख्या 495 का अमल राजस्व रिकार्ड से हटा दिया गया। तत्पश्चात् सतेन्द्र पुत्र श्री फूलसिंह द्वारा अपने नामान्तकरण संख्या 330 की अपील माननीय श्रीमान अतिरिक्त जिला कलक्टर महोदय अलवर के आदेश से सतेन्द्र पुत्र फूलसिंह के नामान्तकरण संख्या 330 में हाल आराजी खसरा नम्बर 486 रकबा 23 बीघा 3 बिस्वा में से 1 बीघा 5 बिस्वा शुद्ध कर सतेन्द्र पुत्र फूलसिंह के नाम 1 बीघा 5 बिस्वा का दर्ज कर दिया गया परन्तु मिन वादीगण के पिता घन्टोली पुत्र बालू का अंकन प्रतिवादी तहसीलदार द्वारा बहाल नहीं किया गया है तथा उक्त आराजी के गलत रूप से चार नम्बर हाल आराजी खसरा नम्बर 486 रकबा 4.79 है 0 व 486/692 रकबा 0.25 है 0, 486/697 रकबा 0.40 है 0, 486/709 रकबा 0.40 है 0 कुल किता 4 कुल रकबा 1.05 है 0 दर्ज कर दिये। जबकि उक्त भूमि में गलत रूप से अंकन गैरखातेदारान वगे. तीस घर दर्ज कर दिया। जो अंकन उपरोक्त अनुसार गलत दर्ज चला आ रहा है। जो खिलाफ मौका, खिलाफ रिकार्ड है, जो मिन वादी के हकूकों के खिलाफ आरम्भ से ही बातिल वो बेअसर है, नाकाबिले पाबन्दी है। जिसे मिन वादी इसी कदर बातिल वो वेअसर करार दिलाकर विवादित आराजी के 1 बीघा 15 बिस्वा के खातेदार काश्तकार घोषित कराने का अधिकारी है तथा गलत को दुरुस्त कराकर विधि विरुद्ध तरीके से पैमुद किये गये बंटे नम्बरो को हटवाकर हाल आराजी खसरा नम्बर 486 रकबा 23 बीघा 3 बिस्वा यानि 5.84 है 0 में से 1 बीघा 15 बिस्वा का खातेदार काश्तकार जरिये पट्टा संख्या 1862 व नामान्तकरण संख्या 495 के अनुसार इश्तकरारहक मय दुरुस्ती इन्द्राज की डिक्री प्राप्त करने का अधिकारी है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जाकर जवाब दावा प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ने अपना जवाब प्रस्तुत किया गया। जो शामिल पत्रावली की गई। वादी द्वारा साक्ष्य के रूप में शपथ पत्र मांगेराम पुत्र घन्टोली जाति मेघवाल निवासी ग्राम हसनपुर माफी तहसील तिजारा जिला अलवर, मनोहरलाल पुत्र गिरधारी जाति मेघवाल निवासी ग्राम हसनपुर माफी तहसील तिजारा जिला अलवर पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किये गये।

वादी अपनी दौराने अपनी बहस वाद के तथ्यों को दौहराया गया है। वादी के वाद को डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया।

यह कि प्रकरण में निम्न तनकीयात कामय की गई।

तनकी नम्बर 1 - आया वादी मुताबिक सनद पट्टा व नामान्तकरण, आराजी का खातेदार है, जो इसी कदर स्वयं को खातेदार घोषित कराकर अपने नाम का अंकन कराने का अधिकारी है।

— जिम्मे वादी

तनकी नम्बर 2 - आया वादी, प्रतिवादी को जरिये डिक्री हुई 0 दवामी से पाबन्द कराने का अधिकारी है।

— जिम्मे वादी

तनकी नम्बर 3 - आया वादी का वाद काबिले खारिज है।

— जिम्मे प्रतिवादी

तनकी नम्बर 4 - अनुतोष।

  
उपखण्ड अधिकारी  
तिजारा (अलवर) राज०

यह कि वादीगण को जरिये सनद पट्टा भूमि आवंटित की जाकर नामान्तकरण संख्या मंजूर किया है। जिसका अमल भी राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में कर दिया गया। परन्तु माननीय अतिरिक्त जिला कलक्टर महोदय के यहां दीगर इंतकाल संख्या 330 की अपील होने से व निर्णय होने से उपरोक्त राजस्व रिकार्ड से वादीगण के नाम का अंकन हटा दिया गया। नामान्तकरण संख्या 330 का कोई संबंध व सरोकार वादीगण की आराजी से नहीं है एवं ना ही माननीय अतिरिक्त जिला कलक्टर महोदय के निर्णय से वादीगण का रकबा प्रभावित होता है परन्तु पटवारी हल्का की गलती से वादीगण का अंकन सहवन से हटा दिया गया। प्रतिवादी द्वारा अपने जवाब में किसी प्रकार का विरोधाभाषी कथन वाद के विपरित में नहीं कहा है अर्थात् वाद में जारी सनद पट्टा व राजस्व रिकार्ड की पुष्टि की है एवं यह अंकित किया है कि राजकीयहित प्रभावित नहीं है जिस कारण से वादी का वाद डिक्री किये जाने योग्य पाया जाता है। तनकी संख्या 1 पूर्णतया वादी के पक्ष में साबित है चूंकि प्रतिवादी राज्य सरकार है इसलिए तनकी संख्या 2 की बाबत कोई अनुतोष वादीगण को नहीं दिया जा सकता।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर वादीगण को आराजी खसरा नम्बर 486 रकबा 4.79 है० व 66/692 रकबा 0.25 है०, 486/697 रकबा 0.40 है०, 486/709 रकबा 0.40 है० कुल किता 4 कुल रकबा 0.05 है० वाके ग्राम हसनपुर माफी तहसील तिजारा जिला अलवर (राजस्थान) में मुताबिक सनद पट्टा 862 व नामान्तकरण संख्या 495 के अनुसार 1 बीघा 15 बिस्वा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें। पर्चा डिक्री जारी हो।

आदेश सुनाया गया।



(महेन्द्र सिंह)

उपसह-अधिकारी  
तिजारा (अलवर) राज०

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर) राज0**  
**पीठासीन अधिकारी महेन्द्र सिंह (आर0ए0एस0)**

मुकदमा नम्बर  
434/2022

तारीख दायर  
09-09-2022

तारीख फैसला

20/07/2022

**उनवान**

01. मांगेराम  
02. जगदीश पुत्रान स्व0 श्री घन्टोली जाति मेघवाल निवासी ग्राम हसनपुर माफी तहसील तिजारा जिला अलवर (राजस्थान)

-----:: वादीगण

**बनाम**

01. राज्य सरकार जरिये पैरोकार भूमिधारी तहसीलदार, तिजारा जिला अलवर (राज0)

-----:: प्रतिवादी


दावा इश्तकरारहक मय दुरुस्ती इन्द्राज वो हुक्मइम्तनाई दवामी  
अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित

01. श्री कुलदीप आहूजा एडवोकेट (वादीगण)

--:: पर्चा डिक्री ::-

आराजी खसरा नम्बर 486 रकबा 4.79 है0 व 486/692 रकबा 0.25 है0, 486/697 रकबा 0.40 है0, 486/709 रकबा 0.40 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 1.05 है0 वाके ग्राम हसनपुर माफी तहसील तिजारा जिला अलवर (राजस्थान) में मुताबिक सनद पट्टा 1862 व नामान्तकरण संख्या 495 के अनुसार 1 बीघा 15 बिस्वा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें।

  
(महेन्द्र सिंह)

उपखण्ड अधिकारी  
तिजारा (अलवर) राज0